संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003

[7 जनवरी, 2004]

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 है। संक्षिप्त नाम।

2. संविधान की आठवीं अनुसूची में,— आठवीं अनुसूची का संशोधन।

(क) विद्यमान प्रविष्टि 3 को प्रविष्टि 5 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार प्रविष्टि 5 को पुन:संख्यांकित किए जाने के पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"3. बोडो

4. डोगरी।";

(ख) विद्यमान प्रविष्टि 4 से प्रविष्टि 7 को क्रमश: प्रविष्टि 6 से प्रविष्टि 9 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा;

(ग) विद्यमान प्रविष्टि 8 को प्रविष्टि 11 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और प्रविष्टि 11 को इस प्रकार पुन:संख्यांकित किए जाने के पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"10. मैथिली";

(घ) विद्यमान प्रविष्टि 9 से प्रविष्टि 14 से क्रमश: प्रविष्टि 12 से प्रविष्टि 17 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा;

(ङ) विद्यमान प्रविष्टि 15 को प्रविष्टि 19 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और प्रविष्टि 19 को इस प्रकार पुन:संख्यांकित किए जाने के पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"18. संथाली।";

(च) विद्यमान प्रविष्टि 16 से प्रविष्टि 18 को क्रमश: प्रविष्टि 20 से प्रविष्टि 22 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा;

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

टी.के. विश्वनाथन,
सचिव, भारत सरकार।

MGIPMRND—1774GI—3-11-2004.